अशोधित प्रति/ प्रकाशनार्थ नहीं

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8 बारहवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का द्वितीय दिवस संख्या 2

बुधवार;
19 सितम्बर, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री रामनारायण मीणा।

राजकीय समारोहों/शिलालेखों में क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा

1. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिलान्यास, उद्घाटन आदि सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में स्थानीय विधायकों को भागीदारी दिये जाने तथा उनके नाम शिलापट्टों में अंकित किये जाने के निर्देश जारी किये हुए हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यक्रमों के अवसर पर क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी करने वाले अधिकारियों/संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? विगत 4 वर्षों में बून्दी जिले में घटित इस प्रकार के प्रकरणों में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधायक नैनवां द्वारा इस सम्बन्ध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र क्रमांक 1556 दिनांक 26 जुलाई, 2005 लिखा गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकारी समारोहों/कार्यक्रमों में तथा शिलालेखों में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता/पदाधिकारियों के नाम लिखे जाने बाबत सरकार द्वारा नीति निर्धारित की हुई है ?

यदि हां, तो क्या तथा नहीं, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? इस सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा नियमों तथा इस बाबत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो बून्दी जिले में गत 3 वर्ष की अवधि में किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 21 मई से लेकर जो इस सरकार ने ...(व्यवधान)... हत्या की है । ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से आप गोलीबारी कर के राजस्थान को नहीं चला सकते। ...(व्यवधान)...

संसदीय सचिव (श्री ओम बिरला)(सामान्य प्रशासन मंत्री श्री कनकमल कटारा के स्थान पर): (1) यह सही है कि संसदीय/विधान सभा निर्चाचन क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा आयोजित सार्वजनिक बैठकों/समारोहों में सम्बन्धित क्षेत्र के सांसदों/विधायकों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाये। सांसदों/विधायकों को सार्वजनिक समारोहों/बैठकों में आमंत्रित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश प.10(2)प्रसु/सम/अनु-1/96 दिनांक 12.09.2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जिलाधीश बून्दी से प्राप्त सूचनानुसार माननीय सांसद/विधायकगण को ऐसे समारोहों में बुलाया जाता रहा है एवं क्षेत्रीय विधायक की अनदेखी करने का कोई प्रकरण सामने नहीं आया है। ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सांसदों/विधायकों के नाम शिलापट्टों में अंकित किये जाने के निर्देश जारी नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): हत्यारों को आज तक कोई दण्ड नहीं मिला ...(व्यवधान)... गोलियों के दम पर राजस्थान की जनता को ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न काल होने दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल कराओ आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल कराएं ...(व्यवधान)...

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम राजस्थान की सरकार से कहना चाह रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाली ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और जो प्रश्न काल में रुचि नहीं लेते वो भले बाहर निकल जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न काल का समय बरबाद कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है और इस पर राज्य की जनता का बहुत पैसा लगता है। हम सब के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, प्रश्न काल करवाएं। ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (2) प्रश्न के भाग एक के अनुसार क्षेत्रीय विधायक को सार्वजनिक समारोह में आमंत्रित करने के निर्देश जारी किये हुए हैं। जिला बून्दी से प्राप्त

सूचना के अनुसार बून्दी जिले में विगत चार वर्षों में इस प्रकार का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.पी. है चाहे आई.जी. है, उनको बर्खास्त किया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): प्रश्न काल में व्यवधान डालना, यह अनुचित है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): गोलियों के सहारे लोकतंत्र नहीं चलेगा ...(व्यवधान)... 26 की हत्या लोकतंत्र की हत्या है ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (3) जी, हां। माननीय विधायक, नैनवा द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र दिनांक 26.07.2005 पर विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां से बोल रहे हैं, अपनी सीट से नहीं बोलते, हर सीट से बोलेंगे यह। यह कहां से बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये न। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): जहां से आपने भेजा वहीं से बोल रहे हैं।

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (4) जी नहीं। शिलापट्टों में उनके नाम अंकित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से यह मांग करते हैं कि जितने भी गुर्जर आरक्षण में जो मारे गये हैं, उनके परिवार को नौकरी दी जाए।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में आकर नारेबाजी)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव): (5) जिला कलेक्टर, बून्दी से प्राप्त सूचना के अनुसार बून्दी जिले में विगत तीन वर्ष की अवधि में ऐसा कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: नैक्स्ट क्वेश्चन।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में लगातार नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। माननीय सदस्यगण, वैल में खड़े माननीय सदस्यों को मैं निवेदन कर रही हूं कि वो अपने-अपने स्थान पर जा कर के बैठ जाएं। मैं वैल में खड़े चारों माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं कि वो अपने- अपने स्थान पर जा कर बैठ जाएं।

आप चारों सदस्य इस प्रकार से विधान सभा के बाकी बिजनस में आप बाधा डाल रहे हैं, मैं समझती हूं यह उचित नहीं है। आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं। मुझे मजबूर नहीं

करें, मुझे मजबूर नहीं करें। यह प्रश्न काल है। यह प्रश्न काल है, प्रश्नों को होने दीजिए। एक-एक प्रश्न पर लाखों-लाखों रुपया खर्च होता है तब जा कर प्रश्न का जवाब आता है और माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं। प्रश्न काल में नहीं चलेगी आपकी मनमानी। प्रश्न काल में मनमानी नहीं चलने दूंगी। मैंने आपसे कहा अपने-अपने स्थानों पर जा कर आप बैठ जाएं। आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में प्रवेश कर नारेबाजी)

लोकतंत्र की हत्या आप कर रहे हैं। आप कर रहे हैं लोकतंत्र की हत्या।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यस। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: यह विधान सभा इस प्रकार से नारे लगाने के लिए नहीं है, यह जन समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी बात उठाने के लिए है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बिलकुल, बिलकुल।

श्री अध्यक्ष: एक-एक प्रश्न पर लाखों रुपया खर्च होता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे पुकारो। आप पुछो न, पुछो-पुछो। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप इस आसन को मजबूर न करें।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जवाब दे दिया मंत्री जी ने। पूछो दूसरा सवाल ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हो गया जवाब आपका। अगला प्रश्न पुकारें ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो मिली-जुली कुश्ती है। यह बी.जे.पी. और इनकी मिली हुई कुश्ती है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह आसन आप से बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है, आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं, आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। यह आसन विनम्र शब्दों में निवेदन कर रहा है कि आप अपने-अपने स्थान पर चले जाएं, अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियमों में आ जाएं, सरकार जवाब देने को तैयार है। यह नियमों में आ जाएं। राजस्थान की विधान सभा नियम और प्रक्रिया से चलती है, यह नियमों में आएं, मोशन ले कर आएं। यह मोशन ले कर आएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार से कोई उत्तर चाहते हैं तो मोशन ले

करक आएं। यदि यह प्रस्ताव ले कर आएं, यह स्थगन ले कर आएं सरकार जवाब देने को तैयार है। यह बिना नियमों के वैल में आ कर और, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर इतने महत्वपूर्ण सवाल लगे हैं, कई माननीय सदस्य सवालों के माध्यम से अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं। यह क्या तरीका है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

एक माननीय सदस्यः यह कोई तरीका थोड़ी हुआ ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में धरना एवं नारेबाजी)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान)... ट्रेनिंग दी है आपने। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न काल करवाएं ...(व्यवधान)... इनको बाहर निकालें, यह माननीय सदस्य व्यवधान उत्पन्न करते हैं इस प्रकार से तो इनको बाहर निकालिये। ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दो, तीन मैम्बर सदन का समय जाया कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रश्न काल है ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपको कोई तकलीफ है तो आप नियमों और प्रक्रिया से आइये ...(व्यवधान)... हर चीज का जवाब तैयार है। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह गलत तरीका है, यह गलत परम्परा कर रहे हैं। यह व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। यदि यह प्रश्न काल में रुचि नहीं रखते हैं तो इनको बाहर निकाला जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय। ...(व्यवधान)... इनको बाहर निकाल दिया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, ताकि प्रश्न हो सकें। ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको बाहर निकालें कृपया। आप कृपा कर के इनको बाहर निकालो ताकि प्रश्न काल हो सके, हमारे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हर प्रश्न का ...(व्यवधान)... इनका जवाब देने के लिए तैयार हैं ...(व्यवधान)... हल्ला करने से कुछ नहीं होता।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसके बाद के प्रश्न हमारे हैं ...(व्यवधान)...

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जनता ने इसलिए नहीं भेजा कि यहां आ कर हल्ला करो। ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि यह रुचि नहीं रखते हैं तो इनको बाहर जाना चाहिए ...(व्यवधान)...

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश को बर्बाद ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप आसन से बात करो। आसन से बात करो आप। आप आसन से बात करो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यगण।

आप चार सदस्य नये हैं, पहली बार जीत कर आये हैं, आप इस बात को नहीं जानते कि जब आसन पाँवों पर हो तो आपको चुप हो जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप। यह सदन तर्क-वितर्क करने के लिए है आपकी तरह से बांहें चढ़ाने के लिए नहीं है, ललकारने के लिए नहीं है यहां पर यह सदन। यह सदन तर्क-वितर्क के लिये है, इस प्रकार से ललकारने के लिए नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में जोर-जोर से बोलना)

अब मैं आप से फिर निवेदन कर रही हूं। मैं आप से एक बार अंतिम बार निवेदन कर रही हूं। अंतिम बार निवेदन कर रही हूं आप तीनों से।

Ars/akt/1110/1b/19092007/1

माननीय सदस्य, अब मैं आप चारों से अन्तिम बार निवेदन कर रही हूं। आप मुझे मजबूर न करें ...(व्यवधान) मेरी बात सुनें पहले आप ...(व्यवधान) मेरी बात सुनिये पहले आप ...(व्यवधान) पहले मेरी सुनिये, आपको पहले आसन की सुननी पड़ेगी, आपको आसन की सुननी पड़ेगी पहले, आप आसन की बात सुनिये ...(व्यवधान) न्याय की बात कर रहे हो, आसन को सुनो तो सही, आसन को सुनिये। इस मामले में जूडिशियरी इनक्वायरी बैठ चुकी है और इसीलिए ...(व्यवधान) क्या नहीं मानते, क्या नहीं मानते, क्या हाथ इस तरह से ...(व्यवधान) आसन की तरफ आपको इस प्रकार से हाथों का इशारा करने की मुमानियत है ...(व्यवधान) आप अपनी बात कहें। जूडिशियल इनक्वायरी बैठ चुकी है, अब आप और क्या चाहते हैं मुझे बताइये। अब आप यदि 195 मैम्बर्स यहां पर और हैं, यह बंधक नहीं है आपका सदन, यह आपने बंधक बना लिया सदन को, 195 माननीय सदस्य क्या यहां पर यूं ही बैठे हैं, चार आदमी खड़े हो गये और सदन को बंधक बना लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीने बाद इनक्वायरी बैठाने का मतलब क्या है, तीन महीने बाद, जब विधान सभा का सत्र आने लग गया, गृह मंत्री जी बताएं आयोग बनाने का क्या .....

श्री अध्यक्ष: मिस्टर गुंजल, इस तरह से नहीं चलेगा, यह सदन आपका बंधक नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा यहां कि आपकी मर्जी आए सो करो, क्या तमाशा बना लिया आपने क्या

समझ लिया, यह विधान सभा है, क्या समझ लिया आपने ...(व्यवधान) क्या उत्तरदायी, उत्तरदायी कर रहे हैं ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः अध्यक्ष महोदय, यह गुंडागर्दी है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आसन की अवहेलना है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण ने इस देश को जलती हुई भट्टी के अन्दर झोंकने का काम किया है।

श्री अध्यक्षः मुझे तरस आता है इन लोगों पर कि चंद माननीय सदस्य, मुझे आप लोगों पर भी तरस आता है कि चार आदमी आकर के पूरे सदन की कार्यवाही में बाधा डालकर प्रश्नकाल नहीं चलने दें, क्या तमाशा बना रखा है आपने ...(व्यवधान) अन्याय की बात करते हैं यहां पर, क्या बात करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य किसी बारे में असंतुष्ट हैं तो इस सदन का उपयोग करें। अगर उनको किसी बात में लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, हमारी कोई गलती है या हमारा कोई अपराध है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बात सुनिये, गृह मंत्री जी क्या कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): या हमने कोई गलती की है तो किसी भी तरीके से आएं आप अपने सवाल खड़े करें, जो हमारे पास होगा हम जवाब देंगे लेकिन मैं सोचता हूं ...

श्री अध्यक्षः इनको तरीके से मतलब नहीं है इनको केवल शोर मचाने से मतलब है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अगर आप विषय के आधार पर, अपने तर्क के आधार पर कुछ कहना चाहें जब तो हम जवाब देने को तैयार हैं बाकी आप यूं ही सोचें कि नहीं ...(व्यवधान) ऐसा है अगर आप किसी तरीके से हाउस में डिस्कस करना चाहें तो मैं तैयार हूं।

श्री अध्यक्षः आप नियम नहीं जानते, नये सदस्य हैं क्या तमाशा लगा रखा है यहां पर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और इस समस्या का समाधान ....

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं सदन के सभी सदस्यों से .....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर यह किसी मोशन के माध्यम से आकर के कोई सवाल जवाब करना चाहें तो हम निश्चित रूप से उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हम कोशिश करेंगे जो कुछ हमने किया उसके आधार पर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे लेकिन अगर इसी तरीके से वह समझाना चाहते हैं तो इनकी इच्छा है ...(व्यवधान) ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, अगर इस हाउस को बचाना है तो मैं इस हाउस के सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस आरक्षण ने महज वोट बटोरने केलिए लगातार इस देश में जातियों का विभाजन किया जा रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया तो मैंने आज से छह आठ महीने पहले सदन चला था उस समय कहा था, भाई

भाई के खून का प्यासा हो जाएगा और वह बात मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसने करवाया, हम राजनीतिक लोगों ने करवाया, अपने स्वार्थ के लिए करवाया, वोट बटोरने के लिए करवाया और

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को सबसे आगे आकर के सबको मिलकर के एक संकल्प पारित करना चाहिए कि अगर पिछड़े हुए व्यक्ति को ऊपर उठाना है तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, उसको नौकरी के योग्य बनाओ, मर्जी आए उतना सरकार खर्चा दो । आरक्षण के मामले में ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्यः यह राजस्थान की विधान सभा है गुर्जरों की महापंचायत नहीं है।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मुद्दा है, बात है तर्क से आइये ना। यहां रोला करने के लिए किसी ने नहीं भेजा, कोई सवाल हो तो जवाब लीजिए आप सरकार से ।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, तर्क की गुंजाइश नहीं बची है, अब इस देश के अन्दर वह समय आ गया है ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हैण्डपम्प तो लगा देंगे आपको जहां जरुरत होगी ...(व्यवधान) ज्यादा बोलने की जरुरत नहीं है ...(व्यवधान) आप छोड़ो देवीसिंह की और आपकी बात करिये। यूं ही रोला कर रहे हैं जबर्दस्ती कोई बात है। मुद्दा है तो पूछिये आप, सरकार हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राजनीतिक लोग, जिसमें मैं भी पीछे नहीं हूं, अपना हित साधने के लिए जातियों में आरक्षण की आग लगाकर के ...(व्यवधान) बांटने का, भाई से भाई को जुदा करने का काम हम लोग कर रहे हैं । ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): हैण्डपम्प सारा ही लगा दूंगा मैं तो ज्यादा बकवास करने की जरुरत नहीं है। हैण्डपम्प, हैण्डपम्प ...(व्यवधान) समय खराब कर रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें एक संकल्प पारित करके केन्द्र सरकार को भिजवाना चाहिए। पिछड़े हुए लोग, दबे हुए लोग चाहे किसी भी वर्ग के हों....

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह लोकतांत्रिक तरीके से मर्यादाहीन आचरण कर रहे हैं माननीय सदस्य, 195 सदस्यों का समय खराब कर रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): उनको पढ़ाओ, लिखाओ, सहायता दो और भगवान के लिए इस आरक्षण को बंद करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस देश के आगे अब कोई चारा नहीं बचा है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): करो ना, वहां बैठकर के यूं ही रोला करने से काम नहीं चलेगा और कोई सवाल है तो जवाब देंगे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, जब गोविन्द सिंह जी गुर्जर राज्य में मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि गुर्जर आरक्षण केन्द्र से मांगें, यह देवीसिंह गुर्जर ने बोला था।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों से पुन: निवेदन कर रहा हूं कि आप राजनीति से ऊपर उठकर के इस देश को और प्रदेश को बचाने के लिए यह संकल्प पारित कर केन्द्र सरकार को भेजने का काम करें। इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, विकास करना है तो एक बच्चे की पाबंदी लगाई जाए कि हिन्दुस्तान में कोई भी व्यक्ति एक बच्चे से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकता। हम महज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमें वोट का खतरा है, हम आइन्दा जीत कर नहीं आयेंगे। शहीदों की आत्मा रो रही है, यह देश जब आजाद हुआ था तो शहीदों का यह सपना था कि भारत पुन: सोने की चिड़िया कहलाए और इस गति से जिस दिशा पर यह देश, प्रदेश चल रहा है ....

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह गोविन्द सिंह गुर्जर जब मंत्री थे, जब राजस्थान में मंत्री थे तब उन्होंने कहा कि गुर्जर केन्द्र से मांगें आरक्षण, यह गोविन्द सिंह गुर्जर का स्टेटमैंट है। यह कहा था अध्यक्ष महोदय, यह किस मुंह से गोविन्द सिंह जी गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तब यह खुद मंत्री थे राजस्थान में तब इन्होंने कहा था कि गुर्जरों को यदि आरक्षण चाहिए तो वह केन्द्र से मांगें, यह उनकी प्रेसवार्ता की कटिंग है गोविन्द सिंह जी गुर्जर की जब वह खुद मंत्री थे और वह नहीं सुनें, यह नाटक कर रहे हैं नहीं सुनने का। यह गोविन्द सिंह जी गुर्जर जब राज्य में मंत्री थे तब उन्होंने यह स्टेटमैंट दिया था प्रेस वार्ता में यह बोला था अध्यक्ष महोदय।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह मैं बहुत छोटे से मुंह से बड़ी बात कर रहा हूं। मैंने पिछले हाउस में कहा ...(व्यवधान) मैं और निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस देश को, प्रदेश को बचाना है तो सब मिलकर के मेरे को तो रोकना पड़े, नहीं पड़े, अपने व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए, किसी के हितैषी नहीं हैं। अपने वोट बटोरने के लिए जाति के अगवा बनकर खड़े हो जाते हैं ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बात जो यह आरक्षण की मांग कर रहे हैं मैं इनके सामने बताना चाहता हूं कि जब यह खुद राज्य में मंत्री थे, यह गोविन्द सिंह गुर्जर मंत्री थे तब इन्होंने यह प्रेस वार्ता करके कहा गुर्जरों को यदि आरक्षण चाहिए तो केन्द्र

से मांगों और किस बात का आरक्षण मांग रहे हो। राज्य सरकार ने आरक्षण दे दिया है आपको फिर और क्या चाहिए। यह गोविन्द सिंह जी गुर्जर ने कहा था। बच्चों को पढ़ाओ और आज आरक्षण ...(व्यवधान) यह गोविन्द सिंह जी गुर्जर का स्टेटमैंट है जब यह राज्य में मंत्री थे। अब वह नहीं सुनने का ढोंग कर रहे हैं, वह सुनते सब हैं लेकिन अब नहीं सुनने का नाटक कर रहे हैं, जान बूझकर बहरे बनने का नाटक कर रहे हैं। इनको पता है कि उन्होंने क्या कहा था। यह रही उनकी प्रेस वार्ता, तीन तीन मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की थी जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तो तीन मंत्री थे गोविन्द सिंह गुर्जर के साथ और उन्होंने यह खुलकर के कहा था कि गुर्जरों को आरक्षण नहीं चाहिए, गुर्जर आरक्षण नहीं मांगें। यह गोविन्द सिंह गुर्जर ने कहा था, यह स्टेटमैंट है, यह प्रेस वार्ता है, आपकी खुद की प्रेस वार्ता है । आप चाहो तो मैं सदन के पटल पर रख सकता हूं। यह रहा आपका स्टेटमैंट खुल्लम खुल्ला, गुर्जर केन्द्र से मांगे आरक्षण और प्रेस वार्ता में आपने कहा था, आज आप किस मुंह से बोल रहे हो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाथी के दाँत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ओ बी सी के आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, श्री अतर सिंह भड़ाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढा द्वारा वैल में नारेबाजी)

vns/akt/11-20/1c/19-9-07

अब जब राज्य सरकार ने ओ.बी.सी. को आरक्षण दे दिया तो फिर किस प्रकार के आरक्षण मांग आप कर रहे हो। आपने कहा है। गोविन्द सिंहजी जब मंत्री थे..(व्यवधान) तब आपने यह कहा है। आज आपकी भाषा बदल गयी (व्यवधान) यह दोहरी नीति आप अपना रहे हो। यह दोहरा चरित्र आपका है। यह घटिया चरित्र आप प्रदर्शित कर रहे हो। दो प्रकार की भाषा आप बोल रहे हो। इन्होंने साफ कहर तीन मंत्रियों ने मांगा है इन सबके...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है, गुर्जरों की महा पंचायत नहीं है। यह गुर्जरों की पंचायत नहीं है, यह विधान सभा है। इनको बाहर निकाला जाए। यह विधान सभा नहीं चलने दे रहे हैं। (व्यवधान) यह गुर्जरों की पंचायत नहीं है, विधान सभा है। इनको बाहर निकाला जाए। विधान सभा है, गुर्जरों की पंचायत नहीं है यहां (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): पंचायती राज मंत्री थे गोविन्द सिंह जी गुर्जर उनकी ...(व्यवधान) जन सम्पर्क कार्यालय, सचिवालय में ..(व्यवधान) इनको आरक्षण नहीं चाहिये। आज किस बात के आरक्षण की मांग आप कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): सब कुछ बपौती नहीं है यहां ..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): इन लोगों से पैसा लिया जाए कितना नुकसान हुआ है..(व्यवधान) यह असंभव को संभव करना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पुन: मैं इस देश और प्रदेश के हित की बात सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आओ आप और हम सब मिलकर ..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि यह सच है तो खुद गोविन्द सिंह जी ..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): यह वोटों की राजनीति नहीं चलेगी। यह वोटों की राजनीति है..(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): कानून और इंसाफ को तोड़ने वाले लोग ..(व्यवधान) मैं नहीं मांग रहा ...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली): यह आरक्षण का मुद्दा क्यों, वोट बटोरना..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विधान सभा की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.21 बजे, 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

श्याम/अरूण 19.09.2007 12.00 **1g**

(पुन: समवेत होने पर)

(12.00 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, पदासीन)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, मैं शोकाभिव्यक्ति पेश कर रही हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रही हूं, शोकाभिव्यक्ति कर रही हूं, शोकाभिव्यक्ति हो रही है। माननीय सदस्य गण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री काशीनाथ गुप्त एवं श्री मांगीलाल रिणवा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

पूर्व विधायक श्री काशीनाथ गुप्त का जन्म दिनांक 28 नवम्बर, 1917 को भरतपुर जिले के कुम्हेर कस्बे में हुआ। आपने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री काशीनाथ गुप्त छठी राजस्थान विधान सभा में कुम्हेर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

गांधीवादी विचारों से प्रेरित रहे श्री गुप्त ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1939 एवं 1942 में हुए आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा दो वर्ष तक जेल में बंदी रहे। आपातकाल के दौरान आपको वर्ष 1975 में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया। पत्रकारिता में रूचि रखने वाले श्री गुप्त पत्रकारों के अनेक संगठनों से जुड़े रहे। आप अनेक ग्रन्थों में सम्पादक मंडल के सदस्य भी रहे।

श्री काशीनाथ गुप्त का दिनांक 17 सितम्बर, 2007 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री मांगीलाल रिणवा का जन्म वर्ष 1925 में पाली जिले के बर ग्राम में हुआ। आपने मिडल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मांगीलाल रिणवा तीसरी राजस्थान विधान सभा में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रहे। विकास कार्यों में रूचि रखने वाले श्री रिणवा लोक विकास के मुद्दों के प्रति सदैव सजग रहते थे।

श्री रिणवा अपने सार्वजनिक जीवन में वर्ष 1956 से 1958 तक ग्राम पंचायत, बर के सरपंच, वर्ष 1958 से 1959 तक रायपुर तहसील के सरपंच तथा वर्ष 1959 से 1960 तक पंचायत समिति, रायपुर के प्रधान रहे। आप पाली जिला परिषद के सदस्य भी रहे।

श्री मांगीलाल रिणवा का दिनांक 29 जून, 2007 को निधन हो गया।

मैं, अपनी और से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की और से दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्वांजलि अर्पित करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दें।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

अनुपस्थिति-अनुमति

मुझे सदन को सूचित करना है कि डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य, विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 18 सितम्बर, 2007 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा ने विदेश यात्रा पर जाने के कारण दिनांक 18 सितम्बर, 2007 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से

अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. डॉ. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की और से अंत्योदय अन्न योजनान्तर्गत गैर बीपीएल श्रेणी से शामिल नव चयनित परिवारों को सहायता उपलब्ध करवाने के संबंध में।

2. श्री बृजकिशोर शर्मा एवं 10 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गृह कर समाप्त कर नगरीय विकास कर लगाने से जनता में व्याप्त रोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। डॉ. चन्द्रशेखर बैद ने जो 295 दिया है उस पर बोल सकेंगे उसमें अपनी यह बात भी कह सकेंगे और बृजकिशोर शर्मा को मैं दो मिनट का समय दे दूंगी।

3. श्री संयम लोढ़ा एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के एक मंत्री को राजसमन्द के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा दोष सिद्ध करार देने के संबंध में।

4. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से गुर्जर जाति को अनुसूचित जनजाति की प्रदेश सूची में सम्मिलित करने के लिए हुए आंदोलनों के दौरान 26 व्यक्तियों की पुलिस की गोली से हुई मौत के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्तावों से संबंधित विषय न्यायालयों के विचाराधीन हैं अत: न्यायाधीन होने के कारण अनुमति देने में असमर्थ हूं।

1.श्री खुशवीर सिंह एवं श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से झालावाड़ व रावतभाटा में अज्ञात बीमारी से 29,000 भेड़ों के मरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

2.श्री हरिमोहन शर्मा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से बी.पी.एल परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ जारी नहीं करने से हजारों लोगों की अकाल मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

3.श्री वीरेन्द्र बेनीवाल एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सेना के संयुक्त शस्त्र प्रशिक्षण सुविधा हेतु अवाप्ति हेतु चिह्नित 61 गांवों में विकास कार्यों पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह, श्री हरिमोहन शर्मा एवं श्री वीरेन्द्र बेनीवाल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनिट बोलने की अनुमति होगी।

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर एवं श्री अतर सिंह भड़ाना द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी जारी)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं जो सदन प्रस्ताव दिया है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सदन का दुरूपयोग हो रहा है। इस तरह के आरोप तोप-तमंचों की सरकार, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ...(व्यवधान) यह किस तरह की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हाउस आर्डर में है, सरकार जवाब देने को तैयार है ...(व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: 1. श्री एमादुद्दीन अहमद खान, सदस्य की ओर से दिसम्बर, 2006 की हज यात्रा में कुर्रा में असफल होने के कारण नहीं भेजे जा सके यात्रियों की राशि तुरंत लौटाने के संबंध में।

2. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के पुरातत्वीय महत्व के जलाशयों का जीर्णोद्वार, संरक्षण एवं विकास करने के संबंध में।

3. श्री राकेश मेघवाल, सदस्य की और से तीर्थराज पुष्कर से ग्राम कडैल, बस्सी होते हुए परबतसर बिदियाद मकराना सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड घोषित करने के संबंध में।

4. डॉ. चन्द्रशेखर बैद, सदस्य की ओर से बी.पी.एल. सूची में चयनित गरीब परिवारों के राशन कार्ड एवं मेडिकल रिलीफ कार्ड बनाकर उन्हें लाभान्वित करने के संबंध में।

5. श्री बृजकिशोर शर्मा, सदस्य की ओर से दौसा रेलवे स्टेशन के नजदीक के रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण करने के संबंध में।

6. श्री मोहन मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के कतिपय विद्यालयों को माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

jyg/akt/19.9.7/12.10/1h

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री अतर सिंह भडाना, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (श्रीगंगानगर) द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

...(व्यवधान)... सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य डाल रहे हैं बाधा। सत्ता पक्ष के देखने की बात है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य इस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन के देखने की बात है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: 7. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम दीनसर, जालवाली, बराला आदि गांवों का पुन: सीमा ज्ञान करवाकर भूमि सम्बन्धी लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के सम्बन्ध में।

8. श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रोनिक मीटरों से हो रही हानि एवं परेशानी के सम्बन्ध में।

9. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, सदस्य की ओर से गंगापुरसिटी में विद्युत विभाग द्वारा दोषपूर्ण नए इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाने के सम्बन्ध में।

10. श्री मोहनलाल गुप्ता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनपोल की विद्याधर नगर कॉलोनी के सेक्टर 4 से लगती भूमि पर कचरा डिपो खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. डॉ. जालमसिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की पेयजल योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से श्री परशुरामपुरिया राजस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर की व्यवस्था के समबन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। श्री बृजकिशोर शर्मा। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव पेश किए हैं ...(व्यवधान)... ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले इन माननीय सदस्यों से कहें तो सही कि अपने-अपने स्थान पर जाएं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ऐसे मंत्री जिनको न्यायालय ने दोष सिद्ध किया है और 6 महीने के कारावास से दण्डित किया है ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: मैं सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय से निवेदन कर रही हूं कि सत्ता पक्ष के विधायक यहां पर इस प्रकार से वैल में आकर नारे लगाए, मैं सत्ता पक्ष के माननीय मुख्य सचेतक महोदय को कह रही हूं। ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): संसदीय कार्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनमें से एक माननीय सदस्य निष्कासित हैं और दूसरे माननीय सदस्य निलम्बित हैं। यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं हैं इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पर नियंत्रण आप ही करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य नहीं हैं इसलिए नियंत्रण का काम तो आप करो। ...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): निष्कासित नहीं है, निलम्बित है, निष्कासित नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, निलम्बित सदस्य पर भी पार्टी व्हिप लागू होता है, आप किस मुंह से बोल रहे हैं। माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, निलम्बित सदस्य पर भी पार्टी व्हिप लागू होता है। आप सदन को चलाना नहीं चाहते। आप सदन में धमाल पट्टी करवा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

(अध्यक्षपीठ द्वारा संकेत से अंकित न करने के निर्देश)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है यहां पर।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह, क्या आप बोलना नहीं चाहते? ...(व्यवधान)... मैं माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह से पूछना चाहती हूं कि क्या आप बोलना नहीं चाहते? ...(व्यवधान)... यदि आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? ...(व्यवधान)...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जिला कोटा, रावत भाटा, झालावाड़ जिला, पश्चिमी राजस्थान के पशुपालकों के लगभग 30 हजार भेड़ और बकरियां अज्ञात बीमारी से मर गई हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): 000 ...(व्यवधान)...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को पहले ऑर्डर में लाइए फिर बोलूं। ...(व्यवधान)...

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः प्रतिपक्ष के नेता कुछ कहना चाह रहे हैं वह तो सुन लीजिए। मिस्टर गुंजल, नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, वह कुछ कहना चाह रहे हैं, वह तो सुन लीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि सदन को संचालित करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी और शक्ति आपके अंदर निहित है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हाउस को इन ऑर्डर लें और कार्यवाही चालू करवाइए अन्यथा यह सारा दिन बरबाद हो जाएगा। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाउस को इन ऑर्डर करने के निर्देश प्रदान करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)... माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लो क्या कह रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आप बैठ क्यों गए? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, जब लीडर ऑफ द हाउस, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता खड़े होते हैं तो सदन शांतिपूर्वक सुनता है उनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री अध्यक्षः नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

19092007/1220/gpc/akt/1j

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 000

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। ..(व्यवधान).. माननीय सदस्यगण। माननीय श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय सुरेन्द्र सिंह राठौड़, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है, आसन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। ..(व्यवधान).. आसन आपसे कुछ कहना चाहता है ..(व्यवधान).. आसन पांवों पर है, आसन कुछ कहना चाहता है। इस सदन में आज दिन तक ..(व्यवधान).. बीच में नहीं बोलेंगे। इस सदन में ..(व्यवधान).. वे भी नहीं बोलेंगे। इस सदन के अंदर इस सदन की कुछ परम्पराएं रही है। इस सदन के कुछ नियम हैं। वेल में आने का अधिकार है, लेकिन वेल में आकर हाथ मटका-मटका कर इस प्रकार से चेलेंज करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ..(व्यवधान).. जो वेल है ..(व्यवधान).. बीच में नहीं, मिस्टर प्रहलाद गुंजल, प्लीज। आप पहले आसन की बात सुनेंगे। ..(व्यवधान).. आप आसन की बात सुनेंगे। आपको आसन की बात सुननी पड़ेगी। आसन की बात सुननी पड़ेगी आपको। ..(व्यवधान).. आप आसन को सुनना नहीं चाहते। आसन को भी नहीं सुनना चाहते आप। ..(व्यवधान).. आसन को नहीं सुनना चाहते? सुनिए। वेल का कायदा यह है कि जब आप वेल में आते हैं तो जो टेबल है इस टेबल को क्रॉस करके नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते। इधर जाने का मतलब है ललकारना। आप जिस तरीके से हाथ उठा-उठा [000]कर जिस प्रकार से बात करें यह बात नियमों के विपरीत है। ..(व्यवधान).. यह नियमों के विपरीत है। आप चारों पहली बार जीतकर आये हैं इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूं। आपको नियमों की जानकारी नहीं है इसलिए मैं बर्दाश्त कर रही हूं, वरना आपको इस तरीके से कोई अधिकार नहीं है। सदन का समय बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। 195 सदस्य यहां बैठे हैं और 4 माननीय सदस्य नारे लगा-लगाकर सदन की कार्यवाही को नहीं चलने दें, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनका जवाब नहीं आने दें, लोगों के स्थगन प्रस्ताव हैं, लोगों की पर्चियां हैं, उन पर आप चर्चा नहीं होने दें, आप चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं आप? ..(व्यवधान).. मैं सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तथा सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्रीगण, क्योंकि मुख्यमंत्रीजी नहीं हैं इसलिए सभी ..(व्यवधान).. बीच में नहीं बोलेंगे आप ..(व्यवधान).. आप पहली बार आये हैं, पहले नियमों की जानकारी करिए, पढ़िए यहां के नियम क्या हैं, इसके बाद बात करिएगा। नियम पढ़िए। ..(व्यवधान)..

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): 000

श्री श्रवणकुमार (पिलानी): 000

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): 000

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.26 बजे 13.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

मोहन/अशोधित प्रति प्रकाशनार्थ नहीं/19092007/1330/1q

(13.30 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री राम नारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप सदन चलाएंगे कि नहीं ? ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको सज़ा दी है, उनसे तत्काल इस्तीफा लिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान)... सुरेन्द्र सिंह राठौड़ से तुरन्त इस्तीफा लेना चाहिए, 6 महीने की सज़ा हो चुकी है। ...(व्यवधान)... उनको 6 महीने की सज़ा हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारा जो स्थगन प्रस्ताव है उस पर चर्चा कराई जाए और सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को 6 महीने की सज़ा हो चुकी है उनका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

इनको 6 महीने की सज़ा हो चुकी है .....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):आधा दर्जन मंत्रियों के, कोई अपनी बेटी के नम्बर बढ़वा रहा है। ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): 6 महीने की सज़ा हुई है उनको। ...(व्यवधान)... आपके नेताओं ने स्वयं ने यह बातें कहीं हैं।...(व्यवधान)..

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कई अपने बेटों के माध्यम से बेरोजगारों की भर्ती कर रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जिनको न्यायालय ने सज़ा दे दी है उनको इस्तीफा देना चाहिए।...(व्यवधान)...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूरी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, अदालत का फैसला आ चुका है। ...(व्यवधान)...

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ...(व्यवधान)... 295 प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे। ...(व्यवधान)...

(पढ़े हुए माने गये प्रस्तावों के लिए परिशिष्ट देखें)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसका कोई विचार सदन में नहीं किया जा सकता। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन चलने दीजिए आपकी बात सुन ली जाएगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर किसी तरह का विचार नहीं हो सकता। जो मामला सब-जुडिस है उस संबंध में कोई बात यहां नहीं हो सकती। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से लिये जाने वाले विषय कल लिए जाएंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

उपनिवेशन विभाग

राजस्व मंत्री ।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित 13 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(19)कोल./1999/1 दिनांक 28.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 में संशोधन किया गया है ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(19)कोल./1999/2 दिनांक 28.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 में संशोधन किया गया है ।

3- अधिसूचना संख्या एफ.4(27)उप./84 दिनांक 3.5.07 जिसके द्वारा भूमि की अंतरणों के विधि मान्यकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि दिनांक 31.3.2008 तक बढ़ाई गई है ।

4- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)कोल./97/1 दिनांक 18.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि के आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया हैं ।

5- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)कोल./97/2 दिनांक 18.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

6- अधिसूचना संख्या एफ.4(16)कोल./1999 दिनांक 26.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया हैं ।

7- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2005 दिनांक 28.5.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया हैं ।

8- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 23.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

9- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 23.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं ।

10- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 10.7.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

11- अधिसूचना संख्या एफ.4(2)कोल./2007/1 दिनांक 10.7.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि के आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं ।

12- अधिसूचना संख्या एफ.4(3)कोल./1999/1 दिनांक 11.7.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(गंग केनाल क्षेत्र में स्थाई भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं ।

13- अधिसूचना संख्या एफ.4(3)कोल./1999/2 दिनांक 11.7.07 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि आंवटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया हैं ।

पंचायती राज विभाग

श्री उपाध्यक्ष: श्री कालूलाल गुर्जर।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायत राज विभाग की निम्नांकित 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या एफ.4(7)पीआरडी/लॉ/रूल-एमेन्ड/07/1166 दिनांक 9.4.07 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं ।

2- अधिसूचना संख्या एफ.4(11)पीआरडी/लॉ/रूल-एमेन्ड/07/2078 दिनांक 18.6.07 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में संशोधन किये गये हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह सरकार सदन का सामना क्यों नहीं करना चाहती?

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक दागी मंत्री को बचाने के लिए इस सदन का सामना नहीं करना चाहती। मेरे पास एक एक इनका कागज मौजूद है पार्लियामेंट के अन्दर इनके नेताओं ने क्या कहा और आज जब इनकी सरकार के ऊपर यह आरोप है कि एक मंत्री जिसको अदालत ने सज़ा सुनाई हुई है वह इस सरकार में मंत्री बन कर के बैठा हुआ है। एक सरकार का मुलाजिम अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस दर्ज

होता है, चालान होता है उसको सस्पैंड किया जाता है फिर ये किस मुंह से मंत्री रह सकते हैं ?

प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं। ...(व्यवधान)...

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री उपाध्यक्ष: पंचायत राज मंत्री राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(3) एफ के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 12(3)एफ के अन्तर्गत राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004.05

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती उषा पूनिया। पर्यटन राज्य मंत्री कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004.05 सदन की मेज पर रखेंगी।

श्रीमती उषा पूनिया (राज्य मंत्री, पर्यटन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का छब्बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2004.05 सदन की मेज पर रखती हूं। ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: बीच में व्यवधान नहीं डालें। श्री महावीर प्रसाद जैन।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को 6-6 महीने की सज़ा हो जाए और उसके बाद भी मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा नहीं दें, ऐसा हो नहीं सकता।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र सं0 19)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष: क्या यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी।

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-जल विकास और प्रबंध का विनियमन और नियंत्रण विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्या-13) पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढा दिया जाए?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाबचंद कटारिया।

राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पुलिस विधेयक, 2007 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 (क्र सं0 5)

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2007 समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी पी जोशी, सभापति, जन लेखा समिति 2007.08 समिति के 28 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। ...(व्यवधान)...

(माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

डा. एन एस गुर्जर।

प्राक्कलन ख समिति (क्र सं0 8 से 11)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2007.08 के लिए प्राक्कलन समिति 'ख' के निम्नांकित 4 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. सहकारिता विभाग से संबंधित कार्य-कलापों एवं गतिविधियों पर आधारित समिति का आठवां प्रतिवेदन ।

2. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य-कलापों एवं गतिविधियों पर आधारित समिति का नवां प्रतिवेदन ।

3. कृषि विपणन(उपज मण्डी) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति ''ख'', 2005-06 के तृतीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का दसवां प्रतिवेदन ।

4. श्रम विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति ''ख'', 2005-06 के छठे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन ।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.39 बजे आधे घंटे तक के लिए स्थगित हुई)

Skp/akt/1400/2c&2d/1

(14.09 बजे)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: विराजो, विराजो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमारे स्थगन प्रस्ताव में सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को राजसमन्द के अधीनस्थ न्यायालय ने 6 महीने की सज़ा और दो हजार रुपये जुर्माना कर दिया। इनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन के द्वारा दी गई व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। एक बार व्यवस्था हो गई उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी का अधिकार किसी भी माननीय सदस्य को नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सुरेन्द्र सिंह राठौड़ ने अपनी नाबालिग लड़कियों के नाम पर खानें अलॉट करायी है। ऐसे अनैतिक आचरण वाले मंत्री को मंत्री पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। (व्यवधान) खान सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत उनको सज़ा दी गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय कल्ला साहब, आप हाउस नहीं चलाना चाहते? शांतिपूर्वक चलाइये, आ जाएगी आपकी बात।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उनको नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए नहीं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रहलाद गुंजल, श्री अतर सिंह भडाना एवं श्री रणवीर सिंह गुढ़ा द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय कार्य। श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2007-08 का उपस्थापन करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, वर्ष 2007-08 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) का उपस्थापन करता हूं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मतदान

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों का पारण

मांग संख्या 3 – सचिवालय

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 3 – सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5 – प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 5 – प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,43,000/- (तिरासी लाख तियालीस हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9 – वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 9 – वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11 – विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 11 – विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 12 – अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 12 – अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16 – पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 16 – पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,65,17,000/- (दस करोड़ पैंसठ लाख सत्रह हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17 – कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 17 – कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,99,000/- (नौ लाख निन्यानवे हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20 – आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या- 20 – आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार रुपये) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

vkj/akt/19092007/1420/2e

मांग संख्या- 22 क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,00,000/- (बारह करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,06,000/- (बीस लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,56,83,000/-(पच्चीस करोड़ छप्पन लाख तिरासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,00,000/- (एक लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,06,000/- (सत्तर लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,12,000/-(चौबीस लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,000/-(ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या-37 कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,000/-(एक लाख दस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी)

मांग संख्या- 39 पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,75,03,000/- (पैंतीस करोड़ पचहत्तर लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42 उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/-(चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में भयंकर नारेबाजी)

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं, आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये।

मांग संख्या-46 सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,85,03,000/-(उनचास करोड़ पिचासी लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी एवं व्यवधान)

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007

प्रभारी मंत्री, राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग(संख्या-3) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में नारेबाजी एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई सदस्य बोलना चाहें तो, नहीं, बोलिये आप। (व्यवधान) आपको इजाजत देंगे, आप बोलिये पहले। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कोई बोलना चाहें तो बोलिये।

(प्रतिपक्ष के एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में आकर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(व्यवधान) बन्द नहीं होगा। हाउस बन्द नहीं होगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) बन्द नहीं करेंगे आपके कहने से। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। कैसे करेंगे आपके कहने से इस तरह से बन्द? आप बन्द कराने वाले कौन होते हो? (व्यवधान) माननीय सदस्य।

(प्रतिपक्ष के एवं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा

सदन के कूप में आकर व्यवधान)

सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.27 बजे, एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

Jkj/akt/15.20/2l/19.09.2007

(15.27 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपसे निवेदन है.....(व्यवधान) आपसे निवेदन यह है.....

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ः उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन इस विधान सभा के लिए शर्मनाक दिन है, प्रतिपक्ष का जिस तरह का आचरण मर्यादाहीन हो चुका है...

श्री उपाध्यक्षः कि आप शांति से हाउस चलने दीजिये। आपसे निवेदन है कि शांति से हाउस चलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ः आज इस सदन की गरिमा को जिस तरह तार-तार किया है प्रतिपक्ष ने, उपाध्यक्ष महोदय, यह इस सदन के हर सदस्य के लिए शर्म की बात है...

श्री उपाध्यक्षः मेरा आपसे निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण कीजिये और शांति से काम चलने दीजिये। (व्यवधान) और जिस तरह का व्यवहार आपने किया है वह अच्छा नहीं है और आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये। (व्यवधान) यह पहली बार राजस्थान की विधान सभा के अंदर आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों ने, यह सदन की गरिमा को घटाया है आपने। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ः उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन राजस्थान की विधान सभा का शर्मसार दिन है, जिस तरह की....

श्री उपाध्यक्षः सदन की कार्यवाही एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप नहीं चलाना चाहते, मत चलाइये। एक घंटे, आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं, मत चलाओ। सदन की कार्यवाही एक घंटा, साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.28 बजे, 16.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Lpm/akt/1630/3b/19092007 (1)

(पुनः समवेत होने पर)

(16.30 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः हाउस चलाने का मूड नहीं है क्या? हाउस शांति से.... (व्यवधान) तो बात आप शांतिपूर्वक कहेंगे। (व्यवधान) देखो ऐसा है कि शांतिपूर्वक... (व्यवधान) नाराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, कृपया बैठकर के.... (व्यवधान) बैठकर के तय करेंगे, बैठ के बात करेंगे.... (व्यवधान) बात करना... (व्यवधान)।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए। ...(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्षः प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्यवाही समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः सदन की कार्यवाही (व्यवधान) आपसे बात करेंगे, बैठकर के बात करेंगे। ...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 4 बजकर 55 मिनट तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.32 बजे 16.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

Bhs/akt/19.9.07/16.55/3d

(16.55 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्षः ठहरो, शांत रहो। शांत रहो। थोड़ी शांति रखो। शांति रखो तो किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, शांति रखो।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

सदन का समय 17.55 बजे तक स्थगित किया जाता है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.55 बजे, 17.55 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

कैलाश/अरुण 19.09.07 17.55 (1) **3k**

(17.55 बजे)
(पुन: समवेत् होने पर)
(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक 18.15 बजे तक बढाई जाती है ।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.56 बजे 18.15 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

ans/akt 3m 18.15 19092007

(18.15 बजे)
(पुन: समवेत होने पर)
(श्रीमती सुमित्रा सिंह,अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए,कृपया स्थान ग्रहण करें।

(श्री रणवीर सिंह गुढा व श्री प्रहलाद गुंजल द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग बार बार ऐसा करते हैं उन्हें बाहर करना चाहिए, तमाशा लगा रखा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं लगातार सुबह से जो चार माननीय सदस्य इस पूरी सदन की कार्यवाही को हाइजैक करके और कुछ भी कार्य नहीं करने दे रहे हैं (व्यवधान) मैं इन चारों सदस्यों - श्री प्रहलाद गुंजल, श्री रणवीर सिंह गुढा, श्री अतर सिंह भड़ाना और श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर जो गंगानगर से आये हैं इन चारों को कल से जब तक विधान सभा का यह सत्र चलेगा तब तक के लिए विधान सभा से एक्सपेल करती हूं।

सदन की कार्यवाही कल वृहस्पतिवार, दिनांक 20 सितम्बर के प्रात:11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.17 बजे वृहस्पतिवार, दिनांक 20 सितम्बर,2007 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।